न्यायालय सहायक कलक्टर दौसा कैम्प बड़ी, सिकन्दरी

तारीख हुक्म	बैरवा सिंह बनाम मदन सिंह हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज T.I. प्र.सं. 75/2017	नम्बर व ता[illegible] अहकाम जो[illegible] हुक्म की ता[illegible] 8 में जारी हु[illegible]
6-6-18	पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प बड़ी सिकन्दरी में पेश हुई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी एवं अप्रार्थी मय वकील उपस्थित है। प्रार्थी-गण द्वारा पेश किया गया वाद वर्जना एवं स्थाई निषेधाज्ञा से सम्बन्धित है। मूल वाद के निस्तारण तक उभयपक्षों को अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थीगणों का प्रार्थना-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश स्वीकार किया जाता है तथा उभयपक्षों को मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय से प्रतिबन्धित किया जाता है कि ग्राम बड़ी तह. दौसा स्थित ख. नं. 381 रकबा 3.52 है. भूमि के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। प्रकरण कैम्प कार्यालय में क्रमबद्ध तथा बाद तकमील पेशी तक मुल्तवी है एवं मूल वाद के संलग्न ही निर्णय राजस्व लोक अदालत कैम्प बड़ी सिकन्दरी के माध्यम से लिखवाया जाकर सुनाया गया।	

6/8/18

सहायक कलक्टर
दौसा